International Journal of Sanskrit Research 2018; 4(1): 12-18

International Journal of Sanskrit Research

अनन्ता

ISSN: 2394-7519
IJSR 2018; 4(1): 12-18
© 2018 IJSR
www.anantaajournal.com
Received: 05-11-2017
Accepted: 06-12-2017

प्रेम सिंह
संस्कृत विभाग, दिल्ली
विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

डॉ. विजयशंकर द्विवेदी
सहायक प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

Correspondence
प्रेम सिंह
संस्कृत विभाग, दिल्ली
विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

पाश्चात्त्य देशों में मानवाधिकार का ऐतिहासिक विकास

प्रेम सिंह, डॉ. विजयशंकर द्विवेदी

प्रस्तावना

मानवाधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है जो किसी मानव के सर्वांगीण विकास के लिए परमावश्यक हैं, अर्थात ये उसके जीवन एवं व्यक्तित्त्व के निर्माण में निर्णायक तत्त्व के रूप में होते हैं। जिस व्यक्ति, समाज या राज्य ने अधिकारों का हनन किया है उन्होंने फिर उन अधिकारों को मानव–मात्र के लिए सहजता से नहीं लौटाया है। विश्वरत्न बाबासाहेब डॉ.भीमराव अम्बेड़कर ने कहा है कि अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलते हैं।[1] अधिकारों की प्राप्ति के लिए जागरूकता एवं सजगता जरूरी है। जिसे प्रसारित करने का काम पाश्चात्त्य जगत के विचारकों, क्रान्तियों एवं विभिन्न संगठनों ने किया।

पाश्चात्त्य जगत में मानवाधिकारों की संकल्पना यद्यपि नवीन है तथापि पाश्चात्त्य जगत में मानवाधिकार की जड़े बेबीलोन की विधि, असीरिया की विधि एवं हित्ती की विधि में खोजी जा सकती हैं। ग्रीक एवं रोम के दार्शनिकों के विचारों ने प्राकृतिक विधि के आधार पर प्राकृतिक अधिकार प्रस्तुत किये। प्लेटो (427–348 ई0पू0) तथा अरस्तु (384–322 ई0पू0) ने न्याय, राजनीति एवं कानून की अवधारणा के माध्यम से मानव गरिमा को प्रस्तुत किया। मार्कस टुलियस सिसरो[2] (106–43 ई0पू0) जो रोम का दार्शनिक, राजनेता, कानूनविद, वक्ता, राजनैतिक सिद्धान्तकार तथा संविधानवादी थे, उन्होंने भी प्राकृतिक कानून और मानवाधिकारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया। सोफोक्लेस (497/6–406/5 बी.सी.) ने प्रथम राज्य कानून के समक्ष स्वतन्त्रता प्राकृतिक विधि के आधार पर प्रस्तुत की। पाश्चात्त्य जगत में मानवाधिकार की अवधारणा का उद्भव निरंकुश शासकों व नागरिकों और प्रजाजनों के मध्य सम्बन्धों में अवरोध अथवा संघर्ष के परिणामस्वरूप हुआ। जब–जब निरंकुश शासकों के विरुद्ध जन चेतना जागृत हुई है, तब–तब मानवाधिकारों को मान्यता मिलती रही है। इसी कड़ी में प्रथम नाम "मैग्नाकार्टा" का आता है। मैग्नाकार्टा को लिबरटैटम या आजादी का महान चार्टर नामों से भी जाना जाता है। यही वह प्रथम प्रयास है जहाँ से मानवाधिकारों की जन चेतना उठकर सम्पूर्ण संसार में अग्नि के समान फैल गयी। यह जन–चेतना 1215 ई0 के मैग्ना–कार्टा से प्रारम्भ होकर 1993 ई0 के वियना घोषण–पत्र तक सम्पूर्ण संसार में व्याप्त हो गई। 12 वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड़ में जनता, शासक तथा पादरियों के मध्य संघर्ष चल रहा था। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। नागरिक स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं था। दूसरी ओर पादरी धर्म की आड़ में सत्ता की माँग कर रहे थे। शासक–पादरी के मध्य संघर्ष में प्रजा के अधिकारों का हनन हो रहा था। इसी के परिणामस्वरूप सन् 15 जून, 1215 ई0 को जनता, पादरी और शासकवर्ग के मध्य में एक समझौता हुआ, जिसे "मैग्नाकार्टा घोषणा–पत्र"(15 जून, 1215 ई0) के नाम से जाना जाता है। इसी के द्वारा पादरियों के अधिकार क्षेत्र चर्च तक सीमित कर दिये गये और नागरिकों को मूलभूत प्राकृतिक अधिकारों, जैसे– विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, आवागमन एवं आवास की स्वतन्त्रता, मनमाने कर से रोक एवं सत्ता में भागीदारी की स्वतन्त्रता, निरंकुश गिरफ्तारी से स्वतन्त्रता आदि को मान्यता प्रदान की गई।[3] यह चार्टर 63 धाराओं का था, जो टेम्स नदी के किनारे स्थित रनीमीड़ स्थान पर राजा जॉन ने इंग्लैण्ड के सामन्तों को प्रदान किया गया था और लैटिन भाषा में लिखा गया था। सन् 1215 ई0 के मैग्ना–कार्टा घोषणा–पत्र के बाद में वहाँ ट्यूडर शासनकाल में सामन्तवाद की अवनति के फलस्वरूप मैग्ना कार्टा (1215 ई0) के सिद्धान्तों को विस्मृत कर दिया गया। इस मैग्ना कार्टा के अन्य बिन्दुओं के अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि स्वतन्त्र व्यक्ति की गिरफ्दारी सिर्फ किसी कानून के तहत ही हो सकती थी। किन्तु यह अधिकार नागरिक अधिकार तक ही सीमित था। सन् 1358 ई0 में हंगरी के सम्राट एन्ड्रज द्वितीय ने प्राकृतिक अधिकारों तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता का घोषणा–पत्र जारी किया। इसके द्वारा राज्य की शक्तियों में कमी करके जनता की शक्तियों में वृद्धि की गई तथा उन्हें मतदान का अधिकार मिला।[4]

एक लम्बे समय के बाद 17 वीं सदी में वहाँ लोकतन्त्र बाहल किया गया और पुनः मैग्ना कार्टा लागू कर दिया गया। सन् 1627 ई0 में अधिकारों की याचिका प्रस्तुत की गई और सन् 1628 ई0 में "पीटिशन ऑफ राइट्स"(अधिकार याचना–पत्र) को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम के शासन में लागू कर गया। यह मानवाधिकारों के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रयास था। इसमें नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा राज्य द्वारा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई थी।[5] सन् 1679 ई0 में चार्ल्स द्वितीय द्वारा "हैवियस कॉरपस अधिनियम" पारित किया गया जिसका उद्देश्य बन्दी व्यक्ति के कारावास की वैधता पर शीघ्र विचार करना था। सन् 1688 ई0 में "बिल ऑफ राइट्स"(अधिकार घोषणा–पत्र) नाम का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जिसमें जनता को दिये गये सभी अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं को समाविष्ट किया गया था। सन् 1689 ई0 में "बिल ऑफ राइट्स" को पारित कर दिया गया जो हैवियस कॉरपस का ही विस्तार मात्र था। इसका मूल उद्देश्य उन लोगों को लाभ पहुँचाना था, जो आपराधिक आरोप से अलग आक्षेपों में बन्दी बनाये गये थे। राजा द्वारा निर्णय लेने की सीमा निर्धारित की गई थी। राजा के विधि के निलम्बन पर संसद का नियन्त्रण किया गया था। यह अधिनियम विलियम ऑफ ओरेन्ज, के0 विलियम जो हॉलैण्ड के शासक थे तथा मैरी स्टुअर्ट के समय में लाया गया था।[6] मानवाधिकारों के सन्दर्भ में 18 वीं शताब्दी में चार प्रमुख घटनाएँ घटी–

क) द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की स्वतन्त्रता की घोषणा (1776 ई0)।
ख) फ्रांसीसी क्रान्ति (1789 ई0) तथा मनुष्य तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा (1789 ई0)।
ग) अमेरिकी विधिशास्त्र एवं अधिकार विधेयक (1791 ई0)।
घ) नेपोलियन की यूरोपियन देशों पर विजय।

सन् 1776 ई0 में "वर्जीनिया बिल ऑफ राइट्स" स्वीकार किया गया जिसमें घोषणा की गई कि प्राकृतिक रूप से सभी व्यक्ति मुक्त एवं स्वतन्त्र हैं, वे कतिपय अन्तर्निहित अधिकार कहे जा सकते हैं, जैसे– जीवन व स्वतन्त्रता के उपयोग का अधिकार, सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा सुख प्राप्त करने का अधिकार।[7] सन् 4 जूलाई, 1776 ई0 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस जिसमें उत्तरी अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने ब्रिटेन से अपनी स्वतन्त्रा की घोषणा की माँग की तथा यह माना कि "सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं, उनके सृष्टिकर्ता ने उन्हें कुछ अहस्तान्तरणीय अधिकारों से सम्पन्न किया है; इन अधिकारों में जीवन, स्वतन्त्रता तथा सुख की तलाश के अधिकार शामिल हैं। इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सरकारों की स्थापना की गई जिनकी न्यायसम्मत सत्ता का स्रोत शासितों की सम्पत्ति होती है। जब भी कोई सरकार चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए घातक बन जाती है तब सम्बन्धित जन समाज को यह अधिकार है कि वह सरकार को बदलकर या मिटाकर ऐसी एक नई सरकार की स्थापना करे जो उस जन समाज को सुरक्षा और सुख प्रदान करने की सम्भावनाओं से आपूरित सिद्धान्तों की बुनियाद पर खड़ी हो और जिसकी सत्ता का संगठन तदानुरूप किया गया हो।"[8] यह घोषणा सभी व्यक्तियों को समान रूप से जीवन, स्वतन्त्रता और सुख की घोषणा के साथ–साथ, सरकार परिवर्तन को महत्त्व देती थी। फ्रांस में सन् 1789 ई0 में जनता के मूल अधिकारों की एक पृथक् प्रलेख में घोषणा की गयी, जिसे मानव और नागरिकों के अधिकार घोषणा–पत्र के नाम से जाना जाता है। यह घोषणा–पत्र उन अधिकारों को प्राकृतिक अप्रिदेय और मनुष्य के पवित्र अधिकारों के रूप में उल्लिखित किया गया है; का परिणाम था।[9]

सन् 1789 ई0 में फ्रान्सीसी राज्य क्रान्ति के बाद गठित संसद ने मानव तथा नागरिकों के अधिकारों का घोषणा–पत्र जारी किया। नव निर्मित संविधान द्वारा घोषित किया गया कि 'मनुष्य स्वतन्त्र जन्म लेता है, वह स्वतन्त्र और समान अधिकारों के साथ रहता है।"[10] जून 1789 ई0 में फ्रांस की जनता ने अनुभव किया कि मनुष्य के अधिकारों की अज्ञानता, उपेक्षा तथा अवहेलना के कारण सरकारी तन्त्र निरंकुश एवं नष्ट हो गया है। अतः जनता और उसके प्रतिनिधियों (राष्ट्रीय सभा) के आन्दोलन के फलस्वरूप 26 अगस्त, 1789 ई0 को मानव एवं नागरिक के अधिकारों की घोषणा अंगीकार की गई जो इस प्रकार है[11]–

1. मनुष्य स्वतन्त्र और समान अधिकारों के साथ जन्म लेता हैं और स्वतन्त्रता तथा समान अधिकारों के साथ जीवित रहते हैं। सामाजिक विभेद तो हो सकते हैं, परन्तु उनका आधार केवल यही हो सकता है कि वे सामान्य रूप से सबके लिए उपयोगी हों।
2. सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य मनुष्य के प्राकृतिक और सहज अधिकारों की रक्षा करना है। ये हैं – स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, सुरक्षा और अत्याचार के प्रतिरोध के अधिकार।
3. समस्त प्रभुसत्ता का सिद्धान्त तत्वतः राष्ट्र में निहित है। कोई भी संस्था और कोई भी व्यक्ति ऐसी सत्ता का प्रयोग करने का अधिकारी नहीं होता है, जो स्पष्ट रूप से राष्ट्र से प्राप्त नहीं होती।
4. स्वतन्त्रता ऐसा कोई कार्य करने की स्वतन्त्रता है जिससे दूसरे को हानि न हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार पर सिवाय उन मर्यादाओं के और कोई बन्धन नहीं है जो समाज के अन्य सदस्यों को वैसे ही अधिकारों के उपभोग के बारे में आश्वस्त करती है। वे मर्यादाएँ कानून के द्वारा ही निर्धारित की जा सकती हैं।
5. कानून वैध रूप से केवल उन्हीं कार्यों का निषेध कर सकता है जो समाज के लिए हानिकारक हैं। जिस कार्य का कानून के द्वारा निषेध नहीं किया गया हो, उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं की जानी चाहिए और न किसी व्यक्ति को वैसा कार्य करने के लिए बाध्य करना चाहिए जो कानून द्वारा अपेक्षित नहीं है।
6. कानून सभी लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है। कानून के निर्माण में सभी नागरिकों को स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के जरिये भाग लेने का अधिकार है। कानून सुरक्षा या दण्ड़ देने के बारे में एक ही होना चाहिए । चूँकि सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं, इसलिए योग्यता के अनुसार, लेकिन अपने गुणों एवं प्रतिभाओं के भेद को छोड़कर और किसी भेद के बिना, सभी लोग सरकारी प्रतिष्ठाओं, पदों और नौकरियों को प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
7. कानून द्वारा निर्धारित मामलों और कानून द्वारा निश्चित रूपों को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में और रूप में किसी मनुष्य पर अभियोग नहीं लगाया जा सकता और न उसे गिरफ्तार या नजरबन्द किया जा सकता है। जो लोग मनमाने आदेश जारी करने के लिए उकसाते हैं, उसमें तेजी लाते हैं, उस पर अमल करतें हैं या करवाते हैं, उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए। मगर कानूनी तौर पर बुलाये गये या गिरफ्तार किये गये नागरिक को तत्काल आदेश का पालन करना चाहिए जिसका प्रतिरोध करने से उसे दोषी समझा जायेगा।
8. कानून द्वारा नितान्त आवश्यक सजाएं भी निर्धारित की जानी चाहिए। अपराध के पूर्व स्थापित एवं घोषित वैध रूप से अमल में लाये गये कानून के द्वारा ही किसी को सजा दी जानी चाहिए, अन्य तरीके से नहीं।
9. प्रत्येक मनुष्य को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता। इसलिए यदि उसे हिरासत में रखना अनिवार्य माना जाता है, तो हिरासत में अनावश्यक कठोरता का कानून में निषेध होना चाहिए।
10. किसी व्यक्ति का उसके मत के लिए भले ही वह धार्मिक मामले से सम्बन्धित हो, तब तक परेशान नहीं किया जाना चाहिए जब तक ऐसे मत की अभिव्यक्ति से कानून द्वारा स्थापित सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं होती।

11. विचार या मत का निर्बाध सम्प्रेषण मनुष्य के अत्यन्त मूल्यवान अधिकारों में से एक है। इसलिए प्रत्येक नागरिक मुक्त भाव जो चाहे बोल या लिख सकता है अथवा छपा सकता है लेकिन इसका ध्यान रखे कि ऐसा आचरण न करे जो कानून की दृष्टि में इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग है।
12. मनुष्य एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए राजकीय बलों की आवश्यकता होती है। इसलिए ये सबके लाभ के लिए संगठित किये जाते हैं न कि उनके लाभ के लिए जिनके अधीन इन्हें रखा जाता है।
13. राजकीय बलों के अनुरक्षण तथा प्रशासन के व्यय के लिए सामान्य कराधान आवश्यक है। करों का बोझ सभी नागरिकों पर उनकी अदायगी की क्षमता के अनुसार समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए।
14. सभी नागरिकों का यह अधिकार है कि वे व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सार्वजनिक करों की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्राप्त करे, उनके भुगतान के लिए स्वेच्छा से राजी हों, उनसे होने वाली आय के उपभोग पर नजर रखें और तय करें कि किसे कितना कर देना है, कर–निर्धारण और करों की वसूली का तरीका और उसकी अवधी क्या हो।
15. समाज के प्रशासन के प्रत्येक लोक सेवक (अभिकर्ता) को अपने प्रति जिम्मेदार मानने का अधिकार है।
16. जिस समाज में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, या शक्ति का पृथक्करण निर्धारित नहीं है, उस समाज के बारे में ऐसा नहीं माना जा सकता है कि उसका कोई लिखित संविधान है।
17. सम्पत्ति का अधिकार अजेय एवं पवित्र अधिकार है। इसलिए किसी को सम्पत्ति से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कानून द्वारा प्रमाणित किसी स्पष्ट सार्वजनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसा करना जरूरी न हो। इस स्थिति में भी उससे उसकी सम्पत्ति तभी ली जा सकती है जब उसे उसका उचित मुआवजा अग्रिम दे दिया जाए।

इस प्रकार फ्रांसीसी क्रान्ति (1789 ई0) के जो तीन प्रमुख नारे थे : समता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व, 'मनुष्य तथा नागरिक के अधिकारों की उद्घोषणा' (1789 ई0) में ये तीनों अधिकार शामिल थे। परन्तु इस उद्घोषणा में दो विशेषताएँ उल्लेखनीय थीं। प्रथम तो यह थी कि इसमें केवल पुरुषों को ही अधिकार प्राप्त थे, स्त्रियों को नहीं। द्वितीय यह थी कि ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त थे, गुलामों को नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि स्त्रियों और गुलामों को इन तीनों आधारभूत मानवाधिकारों से दूर रखा गया। फ्रांसीसी क्रान्ति और मानवाधिकारों की घोषणा ने 1791 ई0 में अमेरिका के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया। जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका में भी मानवाधिकारों के प्रति गहन चेतना जागृत हुई। अमेरिकी संविधान के निर्माण के समय अमेरिकी संविधान के मूल प्रारूप में मानवाधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया था। सन् 15 सितम्बर, 1791 ई0 को अमेरिकी संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया और मानवाधिकार का एक भाग बना दिया गया। इस मानवाधिारवादी भाग को अमेरिकी संविधान में "बिल ऑफ राइट्स" के नाम से जाना जाता है।[12] इस बिल ऑफ राइट्स के द्वारा जिन अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है वे हैं – बोलने की स्वतन्त्रता, विचार की स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, व्यक्ति के साथ संविदा की स्वतन्त्रता, समानता, निष्पक्ष न्याय, निरंकुश बन्दीकरण तथा सजा, यातना व असाधारण दण्ड से मुक्ति आदि। इनके अतिरिक्त भी भोजन, शरण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, सभा करने, प्रेस की स्वतन्त्रता, आन्दोलन करने की स्वतन्त्रता व सरकारी काम–काज में भाग लेने की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है।[13] 18–19 वीं सदी में नेपोलियन की यूरोपीय देशों की विजय ने भी मानवीय गरिमा, स्वतन्त्रता एवं जीवन जीने के अधिकारों को समूचे यूरोप के राजनैतिक धरातल पर ला दिया।[14]

20 वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दौर में विश्वयुद्धों के कारण भयंकर जन–धन की हानि हुई। जिससे पाश्चात्य जगत् में मानवाधिकारों का पूर्ण हनन हुआ। इतिहास में 1914 ई0 से 1945 ई0 तक का काल 'विध्वंस काल' के नाम से जाना जाता है। विश्वयुद्ध की भयंकर ज्वाला धीरे–धीरे शान्त हो रही थी और धीरे–धीरे मानवाधिकारों के सरक्षण के लिए विभिन्न देशों और नागरिकों में जागरूकता पैदा हुई। विश्वयुद्धों के दौरान हुई क्षति के कारण, फांसीवाद के बढ़ते खतरे के कारण, उपनिवेशवादी आन्दोलनों के कारण, तथा सोवियत रूस की समाजवादी क्रान्ति (अक्टूबर, 1917 ई0) के कारण मानवाधिकारों का मुद्दा सम्पूर्ण विश्व में तेजी से महत्वपूर्ण हो गया। सन् 1918 ई0 में सोवियत रूस की कांग्रेस ने 'श्रमिकों और शोषित जनों के अधिकारों का घोषणा–पत्र' पारित किया। जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण उन्मुलन, समाज के वर्ग विभाजन की पूर्ण समाप्ति, समाजवादी संगठन की स्थापना, सभी देशों में समाजवाद की विजय के मूल कर्त्तव्य आदि को भी शामिल किया गया।[15]

सन् 8 जनवरी, 1918 ई0 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने राष्ट्र संघ के गठन के विषय में पहला भाषण दिया। बेनिटो मुसोलिनी ने भी तब राष्ट्र संघ के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा– 'संघ तभी तक अच्छा है जब तक गोरैया चहचाती हैं, किन्तु जब चीलें झगढ़ती हैं तब संघ बिलकुल भी अच्छा नहीं है।" सन् 25 जनवरी, 1919 ई0 को राष्ट्र संघ बनाने का अनुमोदन कर दिया गया और सन् 28 जून, 1919 ई0 को 44 राष्ट्रों के सदस्यों ने इसके घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके प्रतिज्ञा–पत्र में जैसा कि कहा गया है, इसके प्राथमिक लक्ष्यों में सामूहिक सुरक्षा, मानवाधिकारों को सुरक्षा, युद्धों से सुरक्षा (युद्ध रोकना) तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझा कर सुरक्षा आदि प्रदान करना था। अक्टूबर 1919 में राष्ट्र संघ को इसके उत्तम कार्यों की सराहना के लिए नोबेल शान्ति पुरुस्कार प्रदान किया गया। सन् 28 जून, 1919 ई0 को वर्साय की सन्धि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के चौदह सूत्री आर्दशों (सन् 1918 ई0) पर आधारित थी। इसका उद्देश्य बहुसंख्यक जनता के साथ–साथ अल्पसंख्यकों को भी जीवन, स्वतन्त्रता, मानवीय गरिमा तथा विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करना था।

इस प्रकार मानवाधिकारों के प्रति जन–चेतना विस्तृत होती चली गयी और इस जागरूकता के निरन्तर प्रचारित होने का एक परिणाम यह भी हुआ कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1941 ई0 में यह घोषणा कर दी कि सभी देश के नागरिकों को चार प्रकार की आजादी है– 1.भय से मुक्ति, 2.भूख से मुक्ति, 3. अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा, 4.पूजा करने की स्वतन्त्रता। इन चारों स्वतन्त्रताओं के सन्देश के अनुक्रम में राष्ट्रपति ने घोषणा की 'स्वतन्त्रता से प्रत्येक मानव की अधिकारों की स्वतन्त्रता अभिप्रेत है। हमारा समर्थन उन्हीं को है, जो अधिकारों को पाने के लिए या बनाये रखने के लिए संघर्ष करते हैं।[16]

सन् 25 अप्रैल, 1945 ई0 में द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात्, अमेरिका के सैन फ्रान्सिस्को नगर में 50 देशों (भारत सहित) का सम्मेलन सम्पन्न हुआ। जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन का प्रश्न उठाया गया और उसे सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। सन् 26 जून, 1945 ई0 को इन 50 देशों के प्रतिनिधियों ने पूर्ण सहमति से संयुक्त संघ के अधिकार–पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये और सन् 24 अक्टूबर, 1945 ई0 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। लुईस हेन्किन के अनुसार 'संयुक्त राष्ट्र की किसी भी कथा में मानव अधिकारों का महत्वपूर्ण स्थान रहेगा।'[17] संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अधिकार–पत्र में कुल 19 चार्टर अध्याय, 111 अनुच्छेद, 10000 शब्द हैं। वर्तमान में इसका कार्य सम्पादन 6 भाषाओं में होता है, जो हैं–चीनी, रूसी, फ्रान्सीसी, अंग्रेजी, अरबी, और स्पेनी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे–

(क). युद्ध के जिस अभिशाप से हमारे जीवन–काल में ही मानव जाति को दो बार अकथनीय विपत्ति में ड़ाला है, उससे भावी पीड़ियों की रक्षा के लिए;

(ख). मूल मानवाधिकारों में, व्यक्ति की गरिमा एवं महत्त्व में पुरुषों और स्त्रियों तथा छोटे व बड़े राष्ट्रों के समान अधिकारों में अपनी आस्था की पुनः पुष्टि के लिए;
(ग). जिन परिस्थियों में न्याय की तथा संधियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान की भावना की रक्षा हो, ऐसी परिस्थितियों को कायम करने के लिए;
(घ). आर्थिक स्वतन्त्रता के वातावरण में सामाजिक प्रगति तथा उच्चतर जीवन–स्तर को बढ़ावा देने के लिए;
(ङ) सहिष्णुता का आचरण करने तथा अच्छे पड़ोसियों की तरह एक–दूसरे के साथ शान्तिपूर्वक रहने के लिए;
(च). अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा कायम रखने हेतु हमारी शक्ति को एकजुट करने के लिए;
(छ). उपयुक्त सिद्धान्तों की स्वीकृति तथा उपयुक्त पद्धतियों की स्थापना द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामान्य हितों की सिद्धि के अलावा और किसी प्रयोजन से सशस्त्र से बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा; तथा
(ज). सभी जन समाजों की आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय तन्त्र का उपयोग करने के लिए।

इस अधिकार–पत्र के अनुच्छेद–1(3) में स्पष्ट प्रावधान है कि–"आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय किस्म की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में और नस्ल, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर कोई विभेद किये बिना मानवाधिकारों तथा सबकी स्वतन्त्रताओं को बढ़ावा देने और उनके प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहन देने के कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करें।" इसके साथ अनुच्छेद–55 में मानवाधिकारों को व्यापक रूप से संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, 'स्थिरता और मानव कल्याण की ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए, जो विभिन्न जन–समाजों के समान अधिकारों और आत्म–निर्णय के सिद्धान्त के प्रति सम्मान की भावना के आधार पर राष्ट्रों के बीच शान्तिपूर्ण व मित्रतापूर्ण सम्बन्धों के लिए आवश्यक है, संयुक्त राष्ट्र संघ :
(क) उच्चतर जीवन–स्तर, सबके लिए रोजगार, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति, तथा विकास की परिस्थितियों को बढ़ावा देगा।
(ख) आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य विषयक तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं के समाधान को तथा अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देगा।
(ग) नस्ल, लिंग, भाषा या धर्म का विभेद किये बिना सबके मानवाधिकारों और मूल स्वतन्त्रताओं के लिए सार्वभौमिक सम्मान की भावना तथा उसके पालन की वृत्ति को बढ़ावा देगा।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना भी 'मैं' की भावना से शुरू न होकर 'हम' की भावना से शुरू होती है और कहा है ' हम संयुक्त राष्ट्र के लोग.....'[18] इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित मानव अधिकारों से सम्बन्धित प्रावधान मानव अधिकारों के बहतर संरक्षण के लिए नींव तथा प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।[19] अर्थात् कह सकते हैं कि वह मानव अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति की विस्तृत सम्भावनाओं की ओर संकेत करते हैं।[20] इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के इस घोषणा–पत्र ने मानवाधिकारों के विकास में एक नवीन आयाम जोड़ दिया। सन् 1945 से 1948 ई0 तक विभिन्न चिन्तकों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राष्ट्र में मानवाधिकारों पर अनेक सम्मेलन, चर्चा–परिचर्चा आदि हुईं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के योगदान के विषय में लुईस हेन्किन का मत सर्वथा ध्यान देने योग्य है 'संयुक्त राष्ट्र का योगदान मानवीय अधिकारों की प्रोन्नति, संरक्षण एवं पालन में काफी रहा है, फिर भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। इसके भविष्य के लिए बीज बो दिये तथा प्रत्याशा से अधिक प्राप्त किया है परन्तु फिर भी आशा से कुछ कम है।[21]

जे0 एल0 ब्राइरली ने संयुक्त राष्ट्र के विषय में कहा है कि वास्तव में चार्टर के उपबन्धों की विषयवस्तु दुर्बल है तथा इसीलिए इस कमी को पूरा करने के प्रयास सन् 1948 ई0 में मानवीय अधिकारों एवं मूल स्वतन्त्रताओं को सार्वभैमिक करके किया गया।[22] इसके पश्चात् सन् 10 दिसम्बर, 1948 ई0 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई जिसमें प्रस्तावना के अतिरिक्त 30 अनुच्छेद हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं[23] –
(क) चूँकि मानव–परिवार के सभी सदस्यों की अन्तर्निहित गरिमा एवं सम्मान तथा अहरणीय अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतन्त्रता, न्याय एवं शान्ति की आधारशिला है।
(ख) चूँकि मानवाधिकारों की उपेक्षा एवं अवमानना के परिणामस्वरूप ऐसे बर्बरतापूर्ण कृत्य हुए हैं जिससे मानवता की अन्तरात्मा को घोर आघात पहुँचा है, तथा जिस दुनिया में सारे मानव अभिव्यक्ति एवं आस्था की स्वतन्त्रता का उपभोग करेंगे तथा भय एवं अभाव से मुक्त होंगे, ऐसी दुनिया के प्रादुर्भाव को आम लोगों की सर्वोच्च आकांक्षा घोषित किया गया है।
(ग) चूँकि यदि मनुष्य के अन्ततः निरंकुशता तथा अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए मजबूर करना है, तो मानवाधिकारों का संरक्षण विधि के शासन द्वारा किया जाना आवश्यक है।
(घ) चूँकि विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध को बढ़ाना जरूरी है।
(ङ) चूँकि संयुक्त राष्ट्र के जन–समाजों संयुक्त राष्ट्र अधिकार–पत्र में मौलिक मानवाधिकारों, मनुष्य की गरिमा तथा महत्व तथा पुरुषों एवं स्त्रियों के समान अधिकारों में अपनी आस्था व्यक्त की है, और अधिक स्वतन्त्रता के वातावरण में सामाजिक प्रगति तथा बेहतर जीवन–स्तर का सम्वर्द्धन करने के लिए निश्चय किया है।
(च) चूँकि संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से, सदस्य राष्ट्रों ने स्वयं मौलिक स्वतन्त्रताओं तथा मानवाधिकारों के सार्वभौमिक सम्मान तथा कार्यान्वयन हेतु संकल्प लिया है।
(छ) चूँकि इस संकल्पना को पूर्णतः कार्यरूप देने के लिए इन अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की साझी समझ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

इसलिए सभी लोगों तथा सभी राष्ट्रों के लिए एक साझे उपलब्धि–स्तर के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' की। मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का स्वागत एक अत्यधिक महत्त्व की ऐतिहासिक घटना तथा संयुक्त राष्ट्र की महानतम उपलब्धियों के रूप में किया गया है।[24] इसकी प्रस्तावना में भी 'मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है।' मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के 1 से 30 अनुच्छेदों में मानव के नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि सभी प्रकार की स्वतन्त्रताओं कों प्रदान किया गया। ये अनुच्छेद निम्नलिखित हैं[25]–

1. सभी मनुष्य जन्म से स्वतन्त्र एवं समान गरिमा व अधिकारों से युक्त हैं। उनमें विवेक और अन्तःकरण होता है तथा उन्हें एक–दूसरे के साथ बन्धुत्व की भावना से व्यवहार करना चाहिए।
2. प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा सामाजिक उत्पत्ति, अथवा किसी दूसरे प्रकार के भेदभाव के इस घोषणा में व्यक्त किये गये सभी अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का अधिकारी है।
3. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतन्त्रता और शरीर की सुरक्षा का अधिकार है।
4. किसी को भी दास बनाकर नहीं रखा जायेगा तथा उन्हें एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जायेगी।

5. किसी को भी मानवीय एवं अपमानजनक यातना नहीं दी जायेगी।
6. प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष व्यक्ति ही माना जायेगा।
7. कानूनी दृष्टि से सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के सुरक्षा के अधिकारी हैं।
8. प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या कानून द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को भंग करने वाले कार्यों के विपरीत राष्ट्रीय न्यायालयों में समान संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है।
9. किसी व्यक्ति की अविहित गिरफ्तारी, कैद, अथवा निष्कासन न हो सकेगा।
10. 10.प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के तथा अपने विरुद्ध आरोपित किसी अपराध के निर्णय के लिए उचित तरिके से सुने जाने का पूर्ण अधिकार है।
11. प्रत्येक व्यक्ति जिस पर अपराध का आरोप है, तब तक निर्दोष समझा जायेगा जब तक कि उसे दण्ड के द्वारा अपराधी न घोषित किया गया हो।
12. किसी की निजता, घर, परिवार और पत्र–व्यवहार में मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।
13. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के भीतर कहीं भी भ्रमण और निवास की स्वतन्त्रता है तथा किसी कारणवश दूसरे देश में जाने या अपने देश में लौटकर आने के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता है।
14. प्रत्येक व्यक्ति को प्रतारणा से बचने के लिए किसी भी देश में बस जाने और सुख से रहने की पूर्ण स्वतन्त्रता है।
15. प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है, उसे अपनी राष्ट्रीयता से मनमाने तौर पर वंचित नहीं किया जायेगा तथा उसे अपनी राष्ट्रीयता बदलने का भी अधिकार है।
16. सभी वयस्क पुरुषों को मूलवंश, राष्ट्रीयता या धर्म की मर्यादा के बिना विवाह करने तथा घर बसाने का अधिकार है। विवाह दोनों की सहमति से होगा।
17. प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या दूसरों के साथ सम्पत्ति रखने का अधिकार है और उसे उसकी सम्पत्ति से मनमाने ढ़ंग से वंचित नहीं किया जा सकेगा।
18. प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अन्तःकरण तथा धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार है।
19. प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी मत रखने और उसे अभिव्यक्ति करने का अधिकार है।
20. प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्ण सम्मेलन करने या संघ में शामिल होने का अधिकार है।
21. प्रत्येक व्यक्ति को सीधे या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है, सरकारी सेवाओं में प्रवेश लेने का अधिकार है तथा जनता की इच्छा (चुनाव के जरिये व्यक्त) सरकार की सत्ता का आधार होगी।
22. प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।
23. प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, रोजगार पाने, काम की अनुकूल व उचित परिस्थितियाँ प्राप्त करने तथा बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा पाने का अधिकार है। उसे समान कार्य के लिए समान वेतन तथा न्यायसंगत व लाभदायक पारिश्रमिक पाने का अधिकार है। उसे श्रमिक संघ बनाने और संघ में शामिल होने का अधिकार है।
24. प्रत्येक व्यक्ति को काम के उचित घण्टे, विश्राम व अवकाश का अधिकार है।
25. प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन–स्तर का अधिकार है जिसमें उसके व उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए भोजन, वस्त्र, मकान, चिकित्सा की उचित सुविधा हो तथा बेरोजगारी, बीमारी, शारीरिक अक्षमता, वैधव्य, बुढ़ापा, अशक्तता में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और मातृत्व तथा बचपन विशेष मे सहायता एवं ध्यान के पात्र हैं। सभी बच्चों को समान सुरक्षा प्राप्त होगी।
26. प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होगी। व्यवसायी शिक्षा सामान्य रूप से उपलब्ध होगी तथा प्रतिभा के आधार पर प्रत्येक को समान उच्च शिक्षा पाने की सुविधा होगी। माता–पिता को अधिकार होगा कि उनके बच्चे को कैसी शिक्षा मिले।
27. प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में निर्बाध रूप से भाग लेने, कलाओं का आनन्द उठाने तथा वैज्ञानिक प्रगति और उसके लाभों में हिस्सेदारी का अधिकार है।
28. प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकारी है जिससे इस घोषणा में निर्दिष्ट अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की पूर्ण प्राप्ति हो सके।
29. समुदाय के प्रति कर्त्तव्यों का पालन करने से ही प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्त्व का निर्बाध व पूर्ण विकास सम्भव है। अधिकारों के प्रयोग के समय प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ कानून द्वारा निर्धारित मर्यादाओं के अधीन रहेगा।
30. किसी राज्य, समूह या व्यक्ति को ऐसी गतिविधि में भाग लेने या ऐसा कार्य करने का अधिकार नहीं है जिससे इस घोषणा–पत्र में वर्णित अधिकारों व स्वतन्त्रताओं का हनन हो।

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सन् 21 दिसम्बर, 1965 ई0 को सभी प्रकार के नस्ली विभेदों के उन्मूलन पर अनतर्राष्ट्रीय अभिसमय को अंगीकार किया तथा सन् 3 जनवरी, 1969 को यह प्रभावी हुआ। सन् 10 दिसम्बर, 1948 ई0 में स्वीकृत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का पल्लवन सन् 10 दिसम्बर, 1966 ई0 में दो अलग–अलग प्रसंविदाओं में हुआ– प्रथम तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर सन् 3 जनवरी, 1976 को हुआ और द्वितीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर सन् 23 मार्च, 1976 ई0 को हुआ।[26] इसके पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सन् 4 दिसम्बर, 1984 ई0 को एक नवीन मानवाधिकार 'विकास का मानवाधिकार' अंगीकार किया। यह उन देशों के लिए स्वीकार किया गया था जो विकासशील थे और जिनमें सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि खाइयाँ अत्यधिक विषम थी तथा जिनमें जाति–भेदभाव, ऊँच–नीच, छूआ–छूत आदि बहुत अधिक मात्रा में थे, जैसे– भारत। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति हेतु सन् 1979 ई0 में एक नवीन अभिसमय पारित किया गया। महिलाओं के लिए पारित अभिसमय के 10 वर्ष पश्चात् बच्चों के हो रहे अधिकारों के शोषण को रोकने के लिए सन् 1989 ई0 में बाल अधिकार सम्बन्धी अभिसमय पारित किया गया। इसके बाद वियन्ना घोषणा सन् 25 जून, 1993 ई0 को की गई[27] जिसमें लोकतन्त्र, विकास तथा मानवाधिकारों की पारम्परिक अन्तर्निर्भरता तथा मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता, अविभाज्यता एवं अन्तर्निर्भरता को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने स्वीकार किया। इस घोषणा का उद्देश्य सन् 10 दिसम्बर, 1948 ई0 के बाद से मानवाधिकारों के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा, विकास तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्धों पर विचार करना, मार्ग की बाधाओं और उनके उपायों की पहचान करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्प्रभु राष्ट्रों के लिए यह बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है कि वे अपने नागरिकों के बहुआयामी हितों को ध्यान में रखकर कानूनों को बनायें, न कि निरंकुशता से। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के सभी नागरिकों के हितों में "अधि राष्ट्र–राज्य" की भूमिका निभायी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सन् 15 मार्च, 2006 ई0 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने 60 वें सत्र में निर्णय लिया कि मानव अधिकार कमिशन के स्थान पर 47 सदस्यीय मानव अधिकार परिषद बनायी जाये और उक्त दिनांक को ही मानव अधिकार परिषद का गठन किया गया जिसका मुख्यालय जेनेवा में है।[28] वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा सन्

10 दिसम्बर, 1948 ई0 के पश्चात् से ही प्रत्येक वर्ष विश्व सम्मेलन होते रहे हैं। सन् 1950 ई0 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में मानव अधिकार दिवस के रूप में 10 दिसम्बर को मानव अधिकार दिवस की घोषणा की गई।[29] इसके साथ ही मानव अधिकारों के विस्तार एवं संरक्षण के लिए अनेकों घोषणाएँ, प्रसंविदाएँ तथा अभिसमय पारित हुए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं–

1. बाल अधिकारों की घोषणा–20 नवम्बर, 1959।
2. उपनिवेशीय देशों एवं लोगों को स्वतन्त्रता प्रदान करने की घोषणा–1960।
3. सभी भेदभावों की समाप्ति की घोषणा–20 नवम्बरर, 1963।
4. महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की घोषणा–1967।
5. क्षेत्रीय आश्रय या भरण पोषण की घोषणा–1969।
6. मानसिक रूप से अविकसित लोगों के अधिकारों की घोषणा–1971।
7. मनुष्य जाति के कल्याण एवं शान्ति के हित में प्रगति पर घोषणा–1975।
8. धर्म या विश्वास पर आधारित सभी प्रकार की असहिष्णुता एवं भेदभाव की समाप्ति पर घोषणा–25 नवम्बर, 1981।
9. राष्ट्रीय या नृजातीय, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा–18 दिसम्बर, 1992।
10. मानवीय अधिकारों पर शरणार्थियों की प्रस्थिति पर अभिसमय–1951।
11. जनवध को रोकने के लिए एवं दण्ड़ित करने पर अधिसमय–1951।
12. महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय–1952।
13. राष्ट्रीयता विहीन व्यक्ति की प्रस्थिति पर अभिसमय–1954।
14. दासता, दास व्यापार की रोक पर अभिसमय–1956।
15. जबरन श्रम पर अभिसमय– 1957।
16. शिक्षा में भेदभाव पर रोक पर अभिसमय–14 दिसम्बर, 1960।
17. जातीय भेदभाव की समाप्ति पर अधिसमय–1973।
18. महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध अभिसमय–18 दिसम्बर, 1979।
19. बाल अधिकारों पर अभिसमय–20 नवम्बर, 1989।
20. अयोग्यता वाले व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय–2006।
21. 21.. सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा– 1966।
22. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा–16 दिसम्बर, 1966।

इनके अतिरिक्त पाश्चात्त्य जगत में अन्य अनेक संगठन हैं जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यरत हैं। ये हैं–

1. वर्ल्ड फ्रेन्ड्स ऑफ अर्थ, एम्सटर्डम–1871।
2. सेव द चिल्ड्रेन फण्ड, लन्दन–1919।
3. इण्टरनेशनल कमिशन फॉर ज्यूरिस्ट्स–1952।
4. ऐमनेस्टी इण्टरनेशनल, लन्दन–1962।
5. माइनॉरटी राइट्स ग्रुप, लन्दन–1965।
6. सरवाइवल इण्टरनेशनल–1969।
7. ह्यूमन राइट्स वॉच, लन्दन–1978, आदि।

इस प्रकार पाश्चात्त्य जगत् में मानव अधिकार की जन–चेतना सन् 1215 ई0 से उठकर निरन्तर विकसित होती हुई वर्तमान शताब्दी को प्राप्त हुई है। आज मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन हो रहे हैं ताकि सम्पूर्ण जगत् में शान्ति का शासन स्थापित हो सके और मानव मानव के महत्त्व को समझ सके। यद्यपि मानवाधिकारों के विस्तार एवं संरक्षण के लिए पाश्चात्त्य जगत ने महत्त्वपूर्ण से महत्त्वपूर्ण कदम उठायें हैं तथापि फिर भी आशा से कम ही हैं। चूँकि पाश्चात्त्य जगत् में मानवाधिकारों के उलंघन से सम्बन्धित खबर आये दिन समाचार–पत्रों में प्रकाशित होती रहतीं हैं। अतः मानवाधिकारों के और अधिक संरक्षण के लिए अभी और अधिक नवीन कदम उठाये जाने की आवश्यकता है और इस मानव जगत् में सभी व्यक्तियों को सभी प्राणियों के सर्वांगीण कल्याण की मंगल कामना की जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष– निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पाश्चात्त्य जगत् ने मानवाधिकारों को गम्भीर अर्थ में लिया है और उनका विकास किया है। पाश्चात्त्य जगत् ने मानवाधिकारों बिना किसी भेद–भाव के प्रचारित एवं प्रसारित किया है ताकि सम्पूर्ण मानवता एक हो सके और सभी का पूर्ण विकास हो सके।

सन्दर्भ

1. Dr.Ambedkar Writing and Speeches, Dr.Ambedkar Academy, New Delhi. 2013; 19:46.
2. Cicero the great Roman jurist , tell us that the Greek stoics around 200~300 years B.C., developed, on the basis of what we now consider as basic human rights, an authentic 'natural~law' theory, prescribing inviolability of these rights .UDHR, Article 5.
3. Compatons Encyclopedia, Voluiu, the University of Chicago. 1986, 45.
4. Everymans Encyclopedia, Edt. D.A.Girling, Pub. J.M. Dent & Sans Ltd. London. 1975, 611.
5. Everymans Encyclopedia, Edt. D.A.Girling, Pub. J.M.Dent & Sans Ltd. London. 1975, 473.
6. International Encyclopedia of Social Sciece, USA. 1985, 369.
7. Vasak Karel, The International Dimesions of Human Rights, Vol. 1th, Green World Press, Westport, Connecticut, USA, 1982, P. 40.
8. (क) सुभाष शर्मा, भारत में मानवाधिकार, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, पहला संस्करण, पाँचवीं आवृत्ति– 2016, पृ0 2।
9. (ख) डॉ.जय जय राम उपाध्याय, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहबाद, चतुर्थ संस्करण पुनरावृत्ति–2013, पृ0 11।
10. डॉ. जय नारायण पाण्ड़ेय, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहबाद, 46 वाँ संस्करण, 2013, पृ0 59।
11. The Oxford History of French Revolution Clarendam Press, Oxford. 1989, 118.
12. सुभाष शर्मा, भारत में मानवाधिकार, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, पहला संस्करण पाँचवीं आवृत्ति– 2016, पृ0 2।
13. डॉ.जय जय राम उपाध्याय, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहबाद, चतुर्थ संस्करण पुनरावृत्ति–2013, पृ0 11।
14. World Mark Encyclopedia U.N. World Mark Press .Ltd. P. 332.
15. सुभाष शर्मा, भारत में मानवाधिकार, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, पहला संस्करण पाँचवीं आवृत्ति– 2016, पृ0 4।
16. सुभाष शर्मा, भारत में मानवाधिकार, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, पहला संस्करण पाँचवीं आवृत्ति– 2016, पृ0 5।
17. द यूनाइटेड नेशन्स एण्ड ह्यूमन राइट्स, 1945, उब्लू बुक 1953, वाल्यूम 7 वाँ, यू0एन0 न्यूयोर्क, 1955।
18. लुईस हेन्किन, द यू0 एन0 एण्ड ह्यूमन राइट्स, इण्टरनैशल आर्गेनाइजेशन, 1965, पृ0 504.
19. डॉ.एस.के.कपूर, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहबाद, पंचम संस्करण–2015 पृ0 9।
20. आयन ब्रराऊनली, प्रिन्सिपिल्स ऑफ पब्लिक इण्टरनेशनल लॉ, द्वितीय संस्करण 1997, पृ0 552।
21. एल. ओपेन हाइम, इण्टरनेशनल लॉ, वाल्यूम 8 वाँ, 1970,, लाटर पैट द्वारा सम्पा. पृ0 783, ओपेन हाइम का इण्टरनेशन्ल लॉ, 9 वाँ संस्करण, 1992, पृ0 988।
22. लुइस हेन्किन, द यू0 एन0 एण्ड ह्यूमन राइट्स, इण्टरनैशल आर्गेनाइजेशन, 1965, पृ0 512।

23. जे0 एल0 ब्राइरली, द लॉ ऑफ नेशन्स, 6 वाँ संस्करण, 1963, पृ0 293–294।
24. सुभाष शर्मा, भारत में मानवाधिकार, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, पहला संस्करण पाँचवीं आवृत्ति– 2016, पृ0 8।
25. डॉ.एस.के.कपूर, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहबाद, पंचम संस्करण–2015 पृ0 25–26।
26. सर एच. लाटपैट, इण्टरनेशनल लॉ एण्ड ह्यूमन राइट्स, पृ0 344.(डॉ.एस.के.कपूर, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहबाद, पंचम संस्करण–2015 पृ0 25)
27. सुभाष शर्मा, भारत में मानवाधिकार, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, पहला संस्करण पाँचवीं आवृत्ति– 2016, पृ0 8–9–10।
28. डॉ.एस.के.कपूर, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहबाद, पंचम संस्करण–2015 पृ0 27–26।
29. डॉ.जय जय राम उपाध्याय, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहबाद, चतुर्थ संस्करण पुनरावृत्ति–2013, पृ0 34–35।
30. सुभाष शर्मा, भारत में मानवाधिकार, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, पहला संस्करण पाँचवीं आवृत्ति– 2016, पृ0 14,17।
31. सुभाष शर्मा, भारत में मानवाधिकार, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, पहला संस्करण, पाँचवीं आवृत्ति– 2016, पृ0 23।
32. डॉ.एस.के.कपूर, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहबाद, पंचम संस्करण–2015 पृ0 13, 15।
33. डॉ0 सुरेन्द्र पाण्ड़ेय एवं संजय कुमार झा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार, एस0 के0 पब्लिशिंग कम्पनी, राँची, प्रथम संस्करण–2016, पृ0 12।